02/8/19 आज पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी/अदायगी
कोर्ट एवं पूर्व निष्पादित के द.ए.0/R.O.A.D. के अनुसार
पूर्व में प्रस्तुत कुर्की वारंट डिपोजिट नं. 5/5 के 1/8 हिस्से के क्रेता
सत्यपाल को बनाये जाने पश्चात् मुक्त किया है। पूर्व आदेशिका
17/7/18 के अनुसार द.ए. पेश करने समय चार हफ्ते का
अवसर दिये जाने उपरान्त पालना नहीं किये जाने की स्थिति
में वादी के वाद की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर
डिक्रीदार अदायगी अनुपालना आदेश 21 नियम 5 के
तहत खारिज किया जाता है। फैसला सुनाया गया।
हो। फाइल वकील जमा मिसल बेकार हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner